

**बिहार सरकार**  
**खान एवं भूतत्व विभाग**

सं0सं0-प्र0-2 ल0ख0(ब्रिक) 02 / 18-..... / एम0, पटना, दिनांक-.....  
 प्रेषक,

फैक्स/ई-मेल

सुशील कुमार,  
 सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक,  
सभी सहायक निदेशक,  
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,  
सभी खान निरीक्षक।

**विषय:-** ईट-सत्र 2016-17 में शून्य भुगतान करने वाले ईट-भट्टेदारों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा उपलब्ध कराने के संबंध में।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभाग में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 1795 ईट-भट्टेदारों द्वारा बिना समेकित स्वामित्व का भुगतान किये ईट-भट्टों का संचालन अवैध रूप से किया गया है।

अतः निदेश दिया जाता है कि आप के जिला के ईट-भट्टेदारों का ब्यौरा निम्न प्रपत्र के अनुसार तैयार कर उसकी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी तीन दिनों के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

क्र0	जिला का नाम	कुल ईट-भट्टों की संख्या	पूर्ण भुगतान	आंशिक भुगतान	शून्य भुगतान	प्राप्त EC की संख्या	प्राप्त CTO की संख्या	दर्ज प्राधिकारी की संख्या	दर्ज नीलाम पत्र मुकदमों की संख्या

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 476 / एम0, पटना, दिनांक- 23.1.18

प्रतिलिपि:- I.T Manager, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उद्धरण  
23/1/18

1  
 23/1/18  
 सरकार के अवर सचिव